कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

भण्डारित साधारण बालू के निस्तारण/निकासी हेतु ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद में तहसील लोनी स्थित ग्राम टीला मोड़ तथा निस्तौली में अवैध भंडारित साधारण बालू के भंडारण, जिसे उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये 02 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई–निविदा दिनांक 29-07-24 को अपरान्ह 2:00 बजे तक वेब–साईट **http://etender.up.nic.in** पर आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 29-07-24 को ही सांय 4:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, खनन अनुभाग, कक्ष संख्या–304 में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:–

भण्डारित स्थल का विवरण :–

क0 सं0	तहसील	ग्राम	भण्डारित स्थल/गाटा सं0	खनिज का नाम	नियमावली– 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0 में)
1	2	3	4	6	7	8
1	लोनी	टीला मोड़	614	साधारण बालू	रू0 65/–	4176
2	लोनी	निस्तौली	697/1	साधारण बालू	रू0 65/–	1735
3	लोनी	निस्तौली	697/2	साधारण बालू	रू0 65/–	3172
					कुल मात्रा	9083

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्रांक 1936/ख0अनु0/ई–निविदा/2024 दिनांक: 20/07/2024

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद,
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, गाजियाबाद।
7. जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों (जिसका प्रकाशन जनपद में सबसे ज्यादा हो) में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा बिल की प्रति जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्रांक : 1937/ख0अनु0/ई–निविदा/24–25 **दिनांक : 20/07/ 2024**

मण्डारित साधारण बालू के निस्तारण/निकासी हेतु
ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद में तहसील लोनी स्थित ग्राम टीला मोड़ तथा निस्तौली में अवैध भंडारित साधारण बालू के भंडारण, जिसे उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये 02 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई–निविदा दिनांक 29-07-24 को अपरान्ह 2:00 बजे तक वेब–साईट **http://etender.up.nic.in** पर आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 29-07-24 को ही सांय 4:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, खनन अनुभाग, कक्ष संख्या–304 में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार हैः–

भण्डारित स्थल का विवरण :–

क0 सं0	तहसील	ग्राम	भण्डारित स्थल/गाटा सं0	खनिज का नाम	नियमावली–2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0 में)
1	2	3	4	6	7	8
1	लोनी	टीला मोड़	614	साधारण बालू	रू0 65/–	4176
2	लोनी	निस्तौली	697/1	साधारण बालू	रू0 65/–	1735
3	लोनी	निस्तौली	697/2	साधारण बालू	रू0 65/–	3172
					कुल मात्रा	**9083**

शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. बालू निकासी की अवधि **02 माह अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो,** की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।

2. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–

    i. निविदाकार का नामः–

    ii. निविदाकार के पिता का नामः–

    iii. स्थायी पताः–

    iv. वर्तमान पताः–

    v. पेन नं0ः–

    vi. आधार नं0ः–

vii. ई–मेल आई डी:–

viii. मोबाईल नं0

ix. पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी/पास पोर्ट/डीएल/विद्युत बि़ल/बैंक पास बुक/राशन कार्ड)

x. आवेदित क्षेत्र का विवरण – तहसील व ग्राम का नाम :–

xi. उपखनिज का नाम :–

xii. भण्डारित बालू की मात्रा:–

xiii. खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र:–

xiv. न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 5,90,395/– का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 2,95,198/– के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी गाजियाबाद के नाम देय होगा।
(क) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :–
(ख) बैक का नाम व शाखा :–
(ग) ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक :–

xv. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र–

xvi. चोरी, तस्करी, अवैध खनन/अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठहराये गये है,के सम्बंध में शपथ पत्र–

3. ई–निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध साधारण बालू की मात्रा/स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. प्राप्त ई–निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।

5. सर्वोच्च दर के ई–निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल ई–निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले ई–निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

6. ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 07 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई–निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बंध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. उक्त ई–निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

8. साधारण बालू निकासी की अवधि 02 माह के लिये होगी, अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

9. बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई–निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0–2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खनन अदेयता प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से एक घन्टे पूर्व अर्थात् 3:00 बजे तक समिति के सदस्यों के समक्ष जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

10. उपखनिज बालू निकासी हेतु कार्याआदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज बालू की निकासी किया जायेगा।

11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र संख्या– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकम, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, गाजियाबाद।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद गाजियाबाद।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Signature Not Verified
Digitally signed by ARUN DIXIT
Date: 2024.07.23 12:06:11 IST
Location: Uttar Pradesh-UP